तारीख हुक्म	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज राजस्व आवेदन संख्या 63/2021 अनवान स्वरूपाराम बनाम रूघाराम	नम्बर व तारीखअहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए
11/01/23	**निर्णय** पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। वकील प्रार्थीगण वहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील प्रार्थीगण ने निवेदन किया कि मौजा अभाणियों का सरा पटवार क्षेत्र चवा तहसील वाडमेर ग्रामीण जिला वाडमेर के खसरा संख्या 698/452 रकवा 04.09 वीघा भूमि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 01 से 03 की संयुक्त पैतृक खातेदारी की व कब्जासुदा भूमि आई हुई है। वर्तमान में अप्रार्थी संख्या 01 के नाम खातेदारी में अंकित है तथा अप्रार्थी संख्या 01 को वादग्रस्त भूमि पैतृक खातेदारी की भूमि से प्राप्त हुई थी। अप्रार्थी संख्या 01 उक्त स्थिति का फायदा उठकार प्रार्थीगण की कब्जा काश्त की भूमि में हस्तक्षेप कर रहे है तथा भूमि का हस्तान्तरण व वेचान अजनवी व्यक्तियों को करने पर उतारू है। यदि उक्त भूमि का हस्तान्तरण व वेचान हो जाता है तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। लिहाजा वाद के निर्णय तक प्रार्थीगण अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारी है। प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलव किया गया। अप्रार्थीगण के नोटिस तामिल श्रेणी में प्राप्त हो चुके है। अप्रार्थीगण वावजूद सूचना अनुपस्थित होने से उनके विरूद्ध ईकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील प्रार्थीगण को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा पत्रावली के संलग्न दस्तावेज का भी गंभीरता पूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण में दिनांक 10.12.2021 को प्रार्थीगण के पक्ष में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई थी तथा वर्तमान में अस्थाई निषेधाज्ञा प्रभाव में है। पत्रावली व दस्तावेजात के अवलोकन से तथा वाद पत्रावली एवं आवेदन के अवलोकन से यह भी ज्ञात होता है कि अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत आवेदन का निर्णय वाद मेरट पर किया जा सकेगा तथा प्रकरण में उभय पक्षों का मौके पर विवाद है। यदि यह आवेदन खारिज किया जाता है तो वादों की संख्या में बढोतरी होगी। प्रकरण के निर्णय तक अप्रार्थीगण को पावन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर अस्थाई निषेधाज्ञा वाद के निर्णय तक इस आशय की जारी की जाती है कि मौजा अभाणियों का सरा पटवार क्षेत्र चवा तहसील वाडमेर ग्रामीण जिला वाडमेर के खसरा संख्या 698/452 रकबा 04.09 वीघा भूमि में अप्रार्थीगण मौके की यथा स्थिति बनाये रखे। निर्णय सरे ईजलास में सुनाया गया। पत्रावली सुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)	